न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आज्ञा – पत्र

उनवान

रईसा बी बनाम बद्दू खाँ

किस्म मुकदमा धारा - 225 मि. नं. 31/2020 सन्

अभिभाषक अपीलान्ट कुलदीप कुमावत अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट श्री पी - छगनलाल R-1 विजय कुमार गर्ग R 1/1

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26-08-22	पत्रावली पेश हुई । कोर्ट कैम्प स्थगित / कंडोलेन्स/हडताल होने से पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 16-9-22 को पेश हो । डॉ० अनुपमा टेलर भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा	16-09-22
16-09-22	पत्रावली पेश हुई। अपीलांट गण व अभिभाषक अपीलांट को रुक-रुक कर तीन बार आवाजें लगवाई गई फिर भी कोई उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया आदेशिका दिनांक 05-02-21 के अनुसार रेस्पो० क्रम R-1 की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई। उसके बाद से अभिभाषक अपीलांट को का०मु० की कार्यवाही हेतु कई अवसर दिये जाने के बाद भी उनके द्वारा का०मु० की कार्यवाही नहीं की गई। आज भी अभिभाषक अपीलांट अनुपस्थित रहे। अतः पत्रावली अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। डॉ० अनुपमा टेलर भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा	

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ कोटा ★

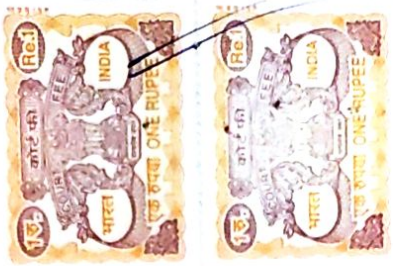

न्यायालय – भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा केम्प झालावड़ (राज0)

1. रईसा बी पत्नी फिदा हुसैन उम्र 58 वर्ष
2. मोबीना बी पुत्री फिदा हुसैन उम्र 32 वर्ष
3. रेहाना बी पुत्री फिदा हुसैन उम्र 30 वर्ष जाति मुसलमान मंसूरी निवासीगण रायपुर तहसील पिड़ावा (रायपुर) जिला झालावाड़ (राज.) – **अपीलार्थीगण**

बनाम

1. जहूर खा वल्द करीम खां उम्र 85 साल जाति मुसलमान मंसूरी निवासी रायपुर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील रायपुर पिड़ावा – **रेस्पोडेन्ट्स**

अपील बनाराजगी आदेश दिनांक 17/12/2019 माननीय न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी पिड़ावा बउनवान रईसा बी बनाम जहूर खां प्रकरण सं. 22/2019 को पारित किया।

अपील सं. /2020

माननीय महोदय,

अपीलाट्स निम्न निवेदन करते हैं।

यह कि प्रकरण संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम रायपुर पटवार हलका रायपुर तहसील रायपुर पिड़ावा में स्थित आराजी खाता सं0 नया 155 पुराना 154 में खसरा नं0 819 रकबा 0.01 बिघा, खसरा नं0 820 रकबा 01 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नं0 821 रकबा 06 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं0 03 बीघा 16 बिस्वा कुल खसरा किता 4 कुल रकबा 12 बीघा 02 बिस्वा आराजी स्थित हैं। जिसके खातेदार रेस्पोडेन्ट् नं0 1 जहूर खां हैं। जहूर खां के बड़े पुत्र फिदा हुसैन व प्रार्थीयां रईसा बी को जहूर खां जी ने मौखिक हिबा (दान) के द्वारा लगभग 30 वर्ष पूर्व निकाह के बाद 5 बीघा भूमि हिबा की थी जिसका विवरण खसरा नं0 820 बीघा 14 बिस्वा तथा खसरा नं0 821 की 03 बीघा 05 बिस्वा हिबा की थी। वक्त हिबा से ही मृतक फिदा हुसैन व प्रार्थीयां का कब्जा निरन्तर चला आ रहा हैं। उक्त आराजी को प्रार्थीगण ने फिदा हुसैन की मृत्यु के पश्चात् आपने नाम से खातेदारी में दर्ज करवाने का प्रयास किया तथा दावा माननीय न्यायालय में पेश किया। वाद पत्र के साथ प्रार्थना पत्र 212 आर. टी. एक्ट का पेश कर आराजी के अन्तरण एवं कब्जे बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा की मांग की अप्रार्थी ने जवाब नकारात्मक दिया बाद सुनवाई माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण के द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारीज किया गया इससे व्यथीथ होकर अन्य के अतिरिक्त निम्न आधारो पर अपीलाट्स निम्न अपील सादर पेश करते हैं।

1. यहकि माननीय अधिनस्त न्यायालय का आदेश पत्र संग्रह सार उपलब्ध दस्तावेजात के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है।
2. यहकि माननीय अधिनस्त न्यायालय ने प्रार्थीगण/अपीलान्ट द्वारा पेश साक्ष्य का सही मुल्यांकन नहीं किया गया हैं। अपीलान्ट पिछले लगभग 30 वर्षो से काबिज होने पर भी इस तथ्य को नजर अन्दाज कर आदेश पारित किया गया है। इस कारण जैर कार अपील आदेश निरस्त होने योग्य है।
3. यहकि विवादित खसरा नं0 819 रकबा 0.01 बिघा, खसरा नं0 820 रकबा 01 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नं0 821 रकबा 06 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं0 03 बीघा 16 बिस्वा कुल खसरा किता 4 कुल रकबा 12 बीघा 02 बिस्वा आराजी स्थित हैं। जिसमें से खसरा नं0 820 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा तथा खसरा नं0 821 का रकबा 03 बीघा 05 बिस्वा कुल 04 बीघा 19 बिस्वा आराजी अप्रार्थी जहूर खां द्वारा मोखीक हिबा कर फिदा हुसैन एवं अपीलान्ट्स रईसा बी को दी गयी थी। वक्त मोखिक हिबा से ही कब्जा निरन्तर प्रार्थीगण का हैं इस तथ्य को नजर अन्दाज कर माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने भारी भूल कि हैं। इस कारण जेरकार अपील आदेश निरस्त होने योग्य हैं।

निरन्तर पेज नं. 2 पर .....